दिनांकः 30.08.2024

अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण मध्यस्थ के द्वारा पारित पंचाट के निष्पादन हेतु लम्बित चल रही है। उक्त पंचाट के निष्पादन से पूर्व यह बिन्दु तय किया जाना आवश्यक है कि "क्या धारा 12(5) माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के उल्लंघन में नियुक्त किये गये मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट का निष्पादन करवाया जा सकता है?"

इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता डिक्रीदार के तर्क है कि मध्यस्थ के द्वारा पारित पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री के समान निष्पादन योग्य है। निष्पादन न्यायालय डिक्री से परे नहीं जा सकता है। धारा 34 के तहत् पारित पंचाट के बारे में मध्यस्थ नियुक्ति का प्रश्न या आपत्ति मूल कार्यवाही में उठायी जा सकती थी, निष्पादन कार्यवाही में इस बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सकता है। पंचाट जारी करने से पहले मदयुन को नोटिस दिया गया था, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ, इस कारण मदयुन ने उसके अधिकार का अधित्याग कर दिया है। विवाद पर मध्यस्थ की नियुक्ति भी उभय पक्ष द्वारा निष्पादित करार में एक प्रावधान था। मदयुन ने पंचाट को कहीं भी चुनौती नहीं दी है। इस कारण निष्पादन न्यायालय पंचाट की वैधता पर विचार नहीं कर सकता है।

उक्त तर्को को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12 में पंचाट को चुनौती देने के आधार बताये गये है। इन्हीं आधारों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "Voestalpine Schienen GmbH Vs Delhi Metro Rail Corporation Ltd (2017) 4 SCC 665" तथा तदुपरान्त कई न्यायिक निर्णयों उदाहरणार्थ "HRD Corporation Vs GAIL (India) Ltd, Civil Appeal No. 11127 of 2017", "TRF Ltd Vs Energo Engineering Projects Ltd. Civil Appeal No. 5306 of 2017", "Perkins Eastman Architects DPC and Anr Vs HSCC (India) Ltd, Arbitration App. No. 32 of 2019", "Bharat Broadband Network Ltd. Vs United Telecom Ltd, Civil Appeal No. 3972 of 2019" में मध्यस्थ की योग्यता एवं अर्हता को ध्यान में रखते हुए यही विधि प्रतिपादित की गयी है कि ऐसी कम्पनीयों एवं संस्थाओं द्वारा एकपक्षीय रूप से मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इस सम्बन्ध में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा "Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd Vs Amrapali Enterprises and Anr, EC 122 of 2022" में भी मध्यस्थ नियुक्ति हेतु माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 12(5) सपठित अनुसूची 7 के प्रावधानों को आज्ञापक प्रकृति के होना बताया है।

30/8/24

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

निरन्तर 30/8/24

इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "Dharma Prathisthanam Vs M/s Modhok Construction Pvt Ltd (2005) 9 SCC 686" में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "In the event of the appointment of an arbitrator and reference of disputes to him being void ab initio as totally incompetent or invalid, the award shall be void and liable to be set aside, de hors the provisions of Section 30 of the Act, in any appropriate proceedings when sought to be enforced or acted upon. So the hallmark of the aribtration proceedings are impartiality and independence even before the amendment to Section 12. So, the position are same, before and after the amendment and unilaterally appointed arbitration award is void ab initio.

इस प्रकार उक्त सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्तों से ऐसा एकपक्षीय रूप से नियुक्त मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट निष्पादन योग्य ही नहीं होता है तथा इस विधिक स्थिति की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ''कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड बनाम नरेन्द्र प्रजापत, एसएलपी सिविल डायरी नम्बर 47322/2023'' में पुष्टि की है। इस प्रकार उक्त प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी निर्णित किया जा चुका है कि ऐसे पंचाट प्रवर्तनीय व निष्पादन योग्य ही नहीं है। यह पंचाट निष्पादन न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकरण में भी डिक्रीदार बैंक/संस्था द्वारा एकपक्षीय रूप से मध्यस्थ की नियुक्ति की गयी है, जिसके कारण यह पंचाट भी निष्पादन योग्य नहीं रह गया है। अतः प्रार्थी/डिक्रीदार की ओर से दिये गये तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

परिणामतः इस प्रकरण में प्रस्तुत पंचाट निष्पादन योग्य नहीं होने से यह इजराय कार्यवाही अस्वीकार कर खारिज की जाती है। डिक्रीदार जीवन्त विवाद, यदि हो, को विधि अनुसार पुनः मध्यस्थ को सन्दर्भित करवाये, तो वह सद्भावनापूर्वक की गयी विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में परिसीमा विधि के तहत् रियायत प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

(हरिश मेनारिया) 30/8/24
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)